

र-ध 0

136/CPA/117
23/11/17



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनवारुद्दीन काजी 2. वर्तमान धारित पद सहायक सदन अधिकारी
 3. वर्तमान वेतन 14820+4200(ग्रेड पे)+अन्य अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम कडवाई विद्याखंड प्रंश जिला जोपाल मध्य प्रदेश	—	0.41 डेसीमल कृषि भूमि	अनुमानित रु० सत्तर लाख मात्र	स्वयं के नाम से	मेरे पिता द्वारा मेरे नाम से वर्ष 1997 में ख़रीद की गई थी।	निरंक	—
2. ग्राम झागौरिया रुर्दा विद्याखंड प्रंश जिला जोपाल मध्य प्रदेश	—	5000 वर्ग फीट	अनुमानित रु० चौबीस लाख मात्र	स्वयं के नाम से	मेरे पिता द्वारा मेरे नाम से वर्ष 2006 में ख़रीद की गई थी।	निरंक	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Anwar
23.01.2017
 नाम अनवारुद्दीन काजी
 पद सहायक सदन अधिकारी